हापुड़ पुलिस

प्रेस नोट

थाना – बहादुरगढ़ दिनांक 26.10.2024

- **थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर फर्जी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **जिसके कब्जे/निशानदेही पर 46,400/- रुपये नकदी व स्वयं को चोट बनाने में प्रयुक्त ब्लेड बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त अपनी ई-रिक्शा से सवारी व माल लाने का कार्य करता है, जिसके द्वारा दिनांक 25.10.2024 को वादी द्वारा दी गयी धनराशि को हड़पने के उद्देश्य से पुलिस को लूट की फर्जी सूचना दी गई थी।**

कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 213/2024 धारा 316(3) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को वैट रोड खेडा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे/निशानदेही पर 46,400/- रुपये नकदी व स्वयं को चोट बनाने में प्रयुक्त ब्लेड बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनांक- 26.10.2024

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रभात शर्मा पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम लुहारी थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने बताया कि मैं अपना ई-रिक्शा चलाकर सवारी व माल ढोने का कार्य करता हूं। दिनांक 25.10.2024 को सुबह 10.00 बजे मुझे चित्रपाल ने अपनी परचून की दुकान का सामान ई-रिक्शा से कस्बा बहादुरगढ से लाने के लिये 50,000 रुपये नकदी

देकर भेजा था। मैंने रुपये हड़पने के लिये सडक के किनारे ईख के खेत में छुपकर अपनी दोनों कलाईयों तथा गर्दन के पीछे स्वयं ब्लैड से चोट के निशान बनाये व ई-रिक्शा लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और बताया कि एक मोटरसाईकिल पर सवार 04 लडकों ने मेरे साथ मारपीट की व नकदी लूटकर फरार हो गये हैं।

बरामदगी का विवरणः-

1. 46,400/- रुपये नकदी सम्बन्धित मु0अ0सं0 213/2024 धारा 316(3) बीएनएस थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
2. स्वयं को चोट बनाने में प्रयुक्त ब्लेड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड।
2. है0का0 308 गजेन्द्र शर्मा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड।